2013:CGHC:4355

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1989 सन् 2009

याचिकाकर्ता तारेन्द्र कुमार झा

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2028 सन् 2009

याचिकाकर्ता तारेन्द्र कुमार झा

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2025 सन् 2009

याचिकाकर्ता तारेन्द्र कुमार झा

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं एक अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3948 सन् 2010

याचिकाकर्ता तारेन्द्र कुमार झा

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं एक अन्य

आदेश की उद्घोषणा हेतु दिनांक 25 फ़रवरी 2013 को सूचीबद्द करे।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायमूर्ति

2013:CGHC:4355

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1989 सन् 2009

याचिकाकर्ता तारेन्द्र कुमार झा

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2028 सन् 2009

याचिकाकर्ता तारेन्द्र कुमार झा

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2025 सन् 2009

याचिकाकर्ता तारेन्द्र कुमार झा

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं एक अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3948 सन् 2010

याचिकाकर्ता तारेन्द्र कुमार झा

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं एक अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन रिट याचिकाएं)

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

उपस्थित: श्री टी.के. झा, याचिकाकर्ता स्वयं उपस्थित (सभी याचिकाओं में)

श्री संजय के. अग्रवाल, महाधिवक्ता सह श्री सुशील कुमार धुरी, उत्तरवादी क्र. 1 के लिए उपस्थित अधिवक्ता (सभी याचिकाओं में)

श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता सह श्री अरुण साव, शासन के लिए उपस्थित शासकीय अधिवक्ता (सभी याचिकाओं में)

श्री बी.पी. सिंह, उत्तरवादी क्र. 4 के लिए उपस्थित अधिवक्ता {डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 1989/2009 में}

श्री राजीव श्रीवास्तव एवं श्री मलय श्रीवास्तव, उत्तरवादी क्र. 6 के लिए उपस्थित अधिवक्ता {डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 1989/2009 में}

श्री अभिषेक सिन्हा, श्री घनश्याम पटेल एवं श्री डी.एल. देवांगन, उत्तरवादी क्र. 11 के लिए उपस्थित अधिवक्ता {डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 1989/2009 में}

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(दिनांक 25 फरवरी, 2013 को प्रदत्त)

1. डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 1989, 2028 एवं 2025 / 2009 और 3948 / 2010 में, समान तथ्य और विधि के समान प्रश्न अन्तर्वलित हैं और, इस रूप में, इन्हें इस एक ही आदेश द्वारा विचारित और निराकृत किए जाने की आवश्यकता है।

2. याचिकाकर्ता, जो उच्चतर न्यायिक सेवा (संक्षेप में "एचजेएस") के एक सदस्य है, ने निम्नलिखित अनुतोष/निदेश प्राप्त करने हेतु ये चार याचिकाएं प्रस्तुत की हैं:

(क) डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 1989 / 2009 :

(i) जून, 2002 से सुपर टाइम स्केल (संक्षेप में "एसटीएस") प्रदान किया जाए, जिसे बाद में दिनांक 30 मार्च, 2005 को संशोधित और प्रतिस्थापित किया गया था।

(ii) विद्वान न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), जो पहले पोर्टफोलियो न्यायाधीश (संक्षेप में "पीजे") थे, द्वारा पद छोड़ने के बाद लिखी गई थी वर्ष 2007-08 अर्थात् दिनांक 1

अप्रैल, 2007 से दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (संक्षेप में "एसीआर") को रद्द किया जाए।

(iii) फुल कोर्ट द्वारा अपनी बैठक दिनांक 25 मार्च, 2009 में पारित उस संकल्प को अभिखंडित किया जाए, जिसके अधीन याचिकाकर्ता को एसटीएस प्रदान किए जाने हेतु 'अनुपयुक्त' ठहराया गया था।

(iv) दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सेवा अभिलेख में 'डी' के ग्रेडिंग को अभिखंडित किया जाए और उक्त ग्रेड को सुधार कर बढ़ाया जाए।

(v) उन अधिकारियों/प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए जो इस प्रकार की अवैध कार्रवाइयों में सम्मलित थे।

(ख) डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 2028 / 2009 :

(i) दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से दिनांक 31 मार्च, 2006 तक की अवधि के लिए एसीआर में की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाया जाए।

(ii) याचिकाकर्ता के विरुद्ध मिथ्या टिप्पणियां लिखने के लिए उत्तरवादी क्र. 2 के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उसे उचित रूप से क्षतिपूर्ति दी जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ग) डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 2025 / 2009 :

(i) दिनांक 1 अप्रैल, 2004 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 (sic 31 अक्टूबर, 2004) तक की अवधि के लिए याचिकाकर्ता की एसीआर में की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाया जाए।

(ii) याचिकाकर्ता को प्रदान किये गए ग्रेड 'डी' को सुधार कर बढ़ाया जाए।

(घ) डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 3948 / 2010 :

(i) दिनांक 30 मार्च, 2005 से एसटीएस प्रदान किया जाए और दिनांक 9 जुलाई, 2010 के उस ज्ञापन को अभिखंडित किया जाए जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को यह संसूचित किया गया था कि एसटीएस प्रदान किए जाने हेतु उसका अभ्यावेदन अस्वीकृत कर दिया गया था।

3. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्विवाद तथ्य, जो संक्षिप्त में यह हैं कि, याचिकाकर्ता ने वर्ष 1981 में तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-II के रूप में न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण किया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, योग्यता सूची में, उसे 87 चयनित अभ्यर्थियों में से क्र. 10 पर रखा गया था। याचिकाकर्ता को वर्ष 1993 में एचजेएस में पदोन्नत किया गया था। तत्पश्चात, उसे तत्कालीन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7 जून, 1999 से प्रवरण ग्रेड वेतनमान (संक्षेप में "एसजीएस") प्रदान किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच सेवाओं के आबंटन पर, याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य आबंटित किया गया था और वरिष्ठता सूची में, वह यहाँ 1981 बैच के न्यायिक अधिकारियों में सबसे ऊपर थे। एसटीएस प्रदान करने से अस्वीकार किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता 1985 बैच के न्यायिक अधिकारियों से नीचे आ गये था।

4. संसूचना दिनांक 17 दिसंबर, 2008 (अनुलग्नक पी-1) द्वारा, याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक की अवधि के लिए, उसे 'औसत' अर्थात् ग्रेड 'डी' प्रदान की गई है और साथ ही 'पारस्परिक संबंध और सामूहिक कार्य अच्छा नहीं था। वे सदैव एक विवादास्पद अधिकारी रहे हैं।'

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता ने टिप्पणियों को हटाने तथा ग्रेड 'डी' को सुधारने की मांग करते हुए दिनांक 2 जनवरी, 2009 (अनुलग्नक पी-3), दिनांक 15 जनवरी, 2009 (अनुलग्नक पी-4) और दिनांक 25 फरवरी, 2009 (अनुलग्नक पी-5) को रजिस्ट्रार जनरल (संक्षेप में "आरजी") को अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए।

6. इस बीच, फुल कोर्ट ने दिनांक 25 मार्च, 2009 को अपनी बैठक आयोजित की (अनुलग्नक पीआर-15) {डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 1989 / 2009 के पृष्ठ संख्या 91-92} और याचिकाकर्ता सहित 8 अधिकारियों को एसटीएस प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया तथा उसके कनिष्ठ), जिन्हें यहाँ उत्तरवादीगण के रूप में पक्षकार बनाया गया है, को एसटीएस की रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि से एसटीएस प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप, प्रथम व्यक्ति को एसटीएस प्रदान किए जाने की तिथि दिनांक 11 अक्टूबर, 2005 थी।

7. चुनौती के आधार यह हैं कि, तत्कालीन पीजे ने दिनांक 24 जुलाई, 2008 को पद छोड़ दिया था, यद्यपि, टिप्पणियां पद छोड़ने के पश्चात दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक की अवधि के लिए की गई थीं। याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन दिनांक 8 अप्रैल,

2009 को अस्वीकृत कर दिया गया था (अनुलग्नक पी-9), जो याचिकाकर्ता को दिनांक 17 अप्रैल, 2009 को प्राप्त हुआ था, इसके पश्चात कि फुल कोर्ट ने दिनांक 25 मार्च, 2009 को आयोजित अपनी बैठक में याचिकाकर्ता को एसटीएस न प्रदान करने का निर्णय लिया था।

8. याचिकाकर्ता ने, कुटुंब न्यायालय में होने के नाते, सुलह द्वारा विवादों का निपटारा किया था, जिसका तत्कालीन पीजे द्वारा उचित और वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया। तथ्यों का उचित रूप से परीक्षण किए बिना अभ्यावेदन अस्वीकृत कर दिए गए। याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में "आरटीआई अधिनियम") के उपबंधों के अधीन सूचना प्राप्त की है और उसे सूचित किया गया कि तत्कालीन पीजे ने दिनांक 3 सितंबर, 2008 को, अर्थात् दिनांक 24 जुलाई, 2008 को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात, प्रतिकूल टिप्पणियां अभिलिखित की थीं।

9. याचिकाकर्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि एसीआर का अभिलिखित किया जाना शेट्टी वेतन आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के विपरीत है। चूँकि सेवा नियमों में कोई उपबंध नहीं है, इसलिए न्यायिक अधिकारियों की एसीआर अभिलिखित करने के लिए मार्गदर्शन अखिल भारतीय सेवा (गोपनीय पंजियां) नियम, 1970 (संक्षेप में "अखिल भारतीय नियम") के उपबंधों से लिया जा सकता है। अखिल भारतीय नियमों के अनुसार, प्रतिवेदन प्राधिकारी, पुनर्विलोकन प्राधिकारी और स्वीकारकर्ता प्राधिकारी पद छोड़ने के पश्चात एसीआर लिखने के लिए सक्षम नहीं होंगे। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के मामले में, पीजे द्वारा पद छोड़ने के पश्चात प्रतिकूल टिप्पणियों का अभिलिखित किया जाना अभिखंडित किए जाने योग्य है। तत्कालीन पीजे (सेवानिवृत्त) द्वारा प्रदान किया गया ग्रेडिंग मनमाना एवं दुर्भावनापूर्ण है। इसे याचिकाकर्ता के सेवा अभिलेखों से हटाया जा सकता है और उच्च न्यायालय को यह निदेश दिया जा सकता है कि वह प्रतिकूल टिप्पणियों, जिन्हें प्रतिवेदन प्राधिकारी द्वारा प्रविष्ट किया गया था, जिसने पद छोड़ने के पश्चात टिप्पणी की थी, को हटाने के पश्चात याचिकाकर्ता को एसटीएस प्रदान करने के मामले पर अन्य प्रत्यर्थियों के साथ उसी तिथि से पुनर्विचार करे, जिस तिथि को उन पर विचार किया गया था।

10. याचिकाकर्ता ने आगे यह तर्क दिया कि पूर्व में भी, कई न्यायिक अधिकारियों को पिछली तिथि से प्रभाव के साथ एसटीएस प्रदान किया गया था। श्री एन.एस. राजपूत के मामले में, जो दिनांक 4 अगस्त, 2002 को सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें आदेश दिनांक 28 नवंबर, 2005 द्वारा दिनांक 2 जून, 2001 के प्रभाव से एसटीएस प्रदान किया गया था। सुश्री निर्मल सिंह और श्री एम.के. तिवारी (यहाँ उतरवादी क्र. 23 एवं 24) को भी याचिकाकर्ता सहित अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रवरण ग्रेड अधिकारियों की तुलनात्मक योग्यता का मूल्यांकन किए बिना क्रमशः दिनांक 11 अक्टूबर, 2002 और दिनांक 11 अक्टूबर, 2005 से प्रभाव के साथ एसजीएस एवं एसटीएस प्रदान किए गए थे। याचिकाकर्ता ने *देव दत्त विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य*[1] में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांत पर अवलंब व्यक्त किया।

11. दूसरी ओर, श्री सुशील कुमार धुरी, विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की ओर से, ने यह निवेदन किया कि फुल कोर्ट ने दिनांक 25 मार्च, 2009 को आयोजित अपनी बैठक में जिला न्यायाधीश (एसटीएस) के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता और अन्य पात्र न्यायिक अधिकारियों के सेवा अभिलेख और समग्र कार्य-निष्पादन पर विचार किया था और सम्यक विचार के पश्चात, याचिकाकर्ता को एसटीएस प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया था। एसटीएस प्रदान न किए जाने के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों पर सम्यक रूप से विचार किया गया था और उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया था तथा ज्ञापन दिनांक 9 जुलाई, 2010 (अनुलग्नक आर1/सी) द्वारा याचिकाकर्ता को संसूचित कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. श्री अग्रवाल ने आगे यह भी निवेदन किया कि याचिकाकर्ता को चयन और नियुक्ति का दावा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, जबकि उसके मामले पर विचार किया जा चुका है और उसे जिला न्यायाधीश (एसटीएस) के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है। याचिकाकर्ता के भूतलक्षी प्रभाव से दावे पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उस समय संवर्ग में उत्पन्न (अर्थात् पदस्थ) नहीं था। दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक की अवधि के लिए टिप्पणियों के संबंध में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदनों पर सम्यक रूप से विचार किया गया था। उक्त अभ्यावेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया था और इसे अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2009 (अनुलग्नक पी-9) द्वारा याचिकाकर्ता को संसूचित कर दिया गया था।

13. श्री अग्रवाल ने आगे यह निवेदन किया कि एसीआर का न्यायिक पुनर्विलोकन केवल इस सीमा तक अनुज्ञेय है कि यह देखा जाए कि क्या निर्णय तक पहुँचने की प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया गया है, न कि स्वयं निर्णय का। इस प्रकार, एसीआर की शुद्धता या प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन और उच्च न्यायालय के फुल कोर्ट द्वारा उसे दिए गए अनुमोदन में जाने से बचते हुए न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए। चुनौती का यह

[1] (2008) 8 एस.सी.सी. 725

आधार कि अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने में कारणों का अभाव था, चुनौती की विषय-वस्तु नहीं हो सकता, क्योंकि इसे अपने आप में त्रुटि नहीं माना जा सकता है।

14. श्री अग्रवाल ने आगे यह निवेदन किया कि उत्तरवादी क्र. 8, 10, 11, 15, 17, 18 और 22 के संबंध में याचिकाकर्ता की चुनौती अधिकारिता के अभाव के कारण पोषणीय नहीं है।

15. श्री अग्रवाल ने आगे यह निवेदन किया कि छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2006 (संक्षेप में "एचजेएस नियम") के नियम 12(4) के अधीन, एचजेएस के सदस्यों की एसीआर में टिप्पणियां अभिलिखित करने के संबंध में, अखिल भारतीय नियम लागू होंगे। पूर्वोक्त उपबंध असंगत नहीं हैं और साथ ही एचजेएस नियमों में एसीआर में टिप्पणियां अभिलिखित करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई उपबंध नहीं है। यह आग्रह किया गया है कि अखिल भारतीय नियमों का नियम 5(5) सक्षम प्राधिकारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से एक माह से अनधिक समय के भीतर एसीआर में टिप्पणियां लिखने का उपबंध करता है और, इस रूप में, पीजे सेवानिवृत्ति के पश्चात भी न्यायिक अधिकारियों की एसीआर में टिप्पणियां लिखने के लिए सक्षम था। एक माह के बजाय, टिप्पणी 39वें दिन लिखी गई थी। पीजे द्वारा अपना पद छोड़ने के पश्चात उसकी सक्षमता को देखते हुए, यह अवधि तात्विक नहीं है। स्वीकारकर्ता प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी ने पीजे द्वारा पद छोड़ने के पश्चात उसे न्यायिक अधिकारी की एसीआर में टिप्पणियां लिखने की अनुमति दी थी। इसलिए, पीजे दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से दिनांक 31 मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए पद छोड़ने के पश्चात भी, यदि कोई टिप्पणी कि हो, तो उसे अभिलिखित करने के लिए पूर्णतः सक्षम थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. विद्वान महाधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने *प्रकाश चंद शर्मा विरुद्ध द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन एवं अन्य*[2] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया था कि प्रतिकूल टिप्पणियों की संसूचना आवश्यक नहीं है और यदि वे अभिलेख पर हैं, तो डीपीसी द्वारा उच्च पद पर पदोन्नति हेतु या अन्य किसी लाभ हेतु अन्य व्यक्तियों के साथ अभ्यर्थी पर विचार करते समय उन पर विचार किया जा सकता है।

17. राज्य के लिए उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री अरुण साव के साथ उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री मूर्ति, उत्तरवादी क्र. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को अंगीकृत करते हैं।

18. उत्तरवादी क्र. 6 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मलय श्रीवास्तव के साथ उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव और उत्तरवादी क्र. 11 के लिए उपस्थित विद्वान

[2] (1970) एस.एल.आर.116

अधिवक्तागण श्री घनश्याम पटेल एवं श्री डी.एल. देवांगन के साथ उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक सिन्हा, ने यह निवेदन किया कि याचिकाकर्ता उस निर्णय को अभिखंडित करने की मांग नहीं कर सकता जिसमें उत्तरवादी क्र. 6 और 11 को एसटीएस प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त पाया गया है। यहाँ तक कि उक्त प्रत्यर्थियों की एसीआर को भी याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना पर अभिखंडित नहीं किया जा सकता। वास्तव में, डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 3948 / 2010 में याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्र. 6 एवं 11 तथा अन्य को आवश्यक पक्षकार/उत्तरवादी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया है।

19. उत्तरवादी क्र. 4 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिंह, अन्य उत्तरवादीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को अंगीकृत करते हैं।

20. डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 2028 / 2009 में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से दिनांक 31 मार्च, 2006 तक की अवधि के लिए उत्तरवादी क्र. 2 द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाये जाने की मांग की है।

21. डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 2025 / 2009 में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 1 अप्रैल, 2004 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 *(sic 31 अक्टूबर, 2004)* तक की अवधि से संबंधित प्रतिकूल टिप्पणियों को विलोपित करने की मांग की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. दिनांक 30 मार्च, 2005 से प्रभाव के साथ एसटीएस प्रदान करने हेतु याचिकाकर्ता ने एक और याचिका दायर की है, जो डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 3948 / 2010 है।

23. <u>डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 2025 / 2009 :</u> अभिलेख के अवलोकन पर, यह पाया गया कि आरजी ने अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 28 जून, 2006 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2004 से दिनांक 30 अक्टूबर, 2004 तक की अवधि के लिए उसकी एसीआर में अभिलिखित प्रतिकूल टिप्पणियों को याचिकाकर्ता को संसूचित किया था।

24. याचिकाकर्ता ने दिनांक 7 सितंबर, 2006 को पूर्वोक्त संसूचना पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इस पर न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया और इसे अस्वीकृत कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 27 जून, 2008 को दूसरा अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता को दिनांक 18 सितंबर, 2008 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि उसके दिनांक 27 जून, 2008 के अभ्यावेदन पर विचार किया गया है और उसे अस्वीकृत कर दिया गया है तथा उसे यह सलाह भी दी गई कि वह उसी अवधि के लिए बार-बार अभ्यावेदन प्रस्तुत न करे।

25. अवलोकन पर, यह पाया गया है कि उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट ने दिनांक 11 सितंबर, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में दिनांक 1 अप्रैल, 2004 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2004 तक की अवधि के लिए अभिलिखित प्रतिकूल टिप्पणियों को विलोपित करने हेतु प्रस्तुत दिनांक 27 जून, 2008 के अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया था।

26. एक बार जब अभ्यावेदन पर सम्यक रूप से विचार कर लिया जाता है, जब तक कि प्रबल कारणों के साथ कोई तात्विक आधार प्रस्तुत न किया जाए, और कोई मजबूत मामला न बनाया जाए, तब तक उस पर आसानी से अविश्वास नहीं किया जा सकता, सिवाय उन मामलों के, जहाँ निष्कर्ष या निर्णय मनमाना, स्वेच्छाचारी हो और किसी युक्तियुक्त व्यक्ति के अंत:करण को आघात पहुँचाता हो। *(देखें: श्रीमती श्रद्धा आकाश श्रीवास्तव विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य[3])*।

27. <u>डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 2028 / 2009 :</u> जहाँ तक दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से दिनांक 31 मार्च, 2006 तक की अवधि के लिए याचिकाकर्ता की एसीआर में तत्कालीन जिला न्यायाधीश, दंतेवाड़ा/उत्तरवादी क्र. 2 द्वारा अभिलिखित प्रतिकूल टिप्पणियों का संबंध है, पीजे प्रतिवेदन अधिकारी से सहमत था, यद्यपि, निपटान को ध्यान में रखते हुए, उसने याचिकाकर्ता के ग्रेड को 'डी' से सुधारने करके 'सी' कर दिया था। प्रतिकूल टिप्पणियां याचिकाकर्ता को दिनांक 31 दिसंबर, 2007 को संसूचित की गई थीं। इसके विरुद्ध, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2008 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में सम्यक रूप से विचार किया गया और उसे अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त निर्णय याचिकाकर्ता को दिनांक 28 जनवरी, 2008 को संसूचित किया गया था। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने दिनांक 20 फरवरी, 2008, दिनांक 19 मार्च, 2008 और दिनांक 23 जून, 2008 को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। उक्त अभ्यावेदनों पर भी फुल कोर्ट द्वारा दिनांक 11 सितंबर, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में पुनः सम्यक रूप से विचार किया गया और उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया। यह सलाह भी दी गई कि एक ही अवधि के लिए बार-बार अभ्यावेदन प्रस्तुत न किए जाएं।

28. याचिकाकर्ता ने आरटीआई अधिनियम के उपबंधों के अधीन कई जानकारियां एकत्र की हैं, जो इस मामले में अंतर्ग्रस्त विवाद में सुसंगत नहीं हैं, क्योंकि यह न्यायालय मामले के तथ्यों में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है जब याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों, जो उसके द्वारा

[3] 2012(4)सी.जी.एल.जे 615

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकत्र की गई सभी जानकारियों को इंगित करते हैं, पर फुल कोर्ट द्वारा पूर्णतः विचार किया जा चुका है। उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कुछ भी असाधारण या अयुक्तियुक्त इंगित नहीं किया गया है।

29. डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 1989 / 2009 एवं 3948 / 2010 : ये याचिकाएं याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2005 से प्रभाव के साथ एसटीएस प्रदान करने हेतु दायर की गई हैं। डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 1989 / 2009 में, याचिकाकर्ता ने अन्य अनुतोषों के लिए भी प्रार्थना की है, जैसा कि इस आदेश के पैरा 2 (क) में कथित है।

30. जहाँ तक दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक की अवधि के लिए प्रतिकूल टिप्पणियों का संबंध है, जो कि संपूर्ण तर्क का मुख्य आधार है, याचिकाकर्ता ने, द्वितीय अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दुर्ग के रूप में सेवा करते हुए, कॉलम क्र. 3 के समक्ष अपने बारे में निम्नानुसार रिपोर्ट दी:

> "प्रत्येक मामले में पक्षकारों को समझौते पर पहुँचने के लिए राजी करने के प्रयास किए गए। कुछ मामलों को मेरे व्यक्तिगत प्रयासों के संतोषजनक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है, अर्थात् (1) एक इंजीनियर पति ने अपनी पत्नी के विरुद्ध विवाह-विच्छेद के लिए वाद (503-अ/05) दायर किया था। उनके दो अवयस्क बच्चे थे। समझाने-बुझाने पर पति अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए सहमत हो गया और मामला समझौते में समाप्त हो गया। (2) एक वृद्ध माता (87 वर्ष) ने अपने दो पुत्रों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता (द.प्र.स.) की धारा 125 के अधीन भरण-पोषण के लिए एक आवेदन (ऍम.जे.सी. 05/08) प्रस्तुत किया। समझाने-बुझाने पर, पुत्र 5.1.2008 को सुनवाई की प्रथम तिथि पर ही 4,000/- रुपये प्रतिमाह (प्रत्येक 2,000/-, 2,000/- रुपये) का भुगतान करने के लिए सहमत हो गए। वृद्ध माता पूर्णतः संतुष्ट थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. तत्कालीन पीजे ने दिनांक 24 जुलाई, 2008 को पद छोड़ने के पश्चात, प्रतिवेदन प्राधिकारी की हैसियत से, दिनांक 3 सितंबर, 2008 को संप्रेक्षण किया था। याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 2 जनवरी, 2009 (अनुलग्नक पी-3), दिनांक 15 जनवरी, 2009 (अनुलग्नक पी-4) और दिनांक 25 फरवरी, 2009 (अनुलग्नक पी-5) को प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों पर विचार

किया गया, उन्हें अस्वीकृत किया गया और दिनांक 8 अप्रैल, 2009 को याचिकाकर्ता को संसूचित किया गया।

32. कागजातों के अवलोकन पर, यह पाया गया कि दिनांक 2 सितंबर, 2008 को अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, अर्थात् वर्ष 2007-08 के लिए न्यायिक अधिकारियों की एसीआर में टिप्पणियां अभिलिखित करने हेतु पीजे द्वारा पद छोड़ने के एक माह पूरा होने के बाद, फाइलें पीजे को भेजी गई थीं।

33. विधि का यह सुस्थापित प्रतिपादन है कि यदि कोई विशिष्ट सेवा नियम एसीआर में टिप्पणियां अभिलिखित करने में अधिकारियों द्वारा की जाने वाली किसी विशिष्ट कार्रवाई से संबंधित नहीं है, तो अन्य सेवा नियमों से अनुमान निकाला जा सकता है। वर्तमान मामले में, एचजेएस नियमों का नियम 12 (4) यह उपबंध करता है कि समान ग्रेड के शासकीय सेवक की सेवा की शर्तों से संबंधित अन्य नियम, जो सामान्य रूप से इन नियमों से असंगत नहीं हैं, एचजेएस के सदस्यों पर लागू होंगे। एचजेएस नियमों में एसीआर में टिप्पणियां कैसे और कब की जाएं, इस संबंध में कोई उपबंध नहीं था। तदनुसार, समान ग्रेड के अखिल भारतीय नियम लागू किए जा सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. अखिल भारतीय नियमों के नियम 5 के उपनियम (5), (6) एवं (7) निम्नानुसार पढ़े जाएंगे :

> "5(5) जहाँ इस नियम के उपनियम (2) या उपनियम (4) के अधीन गोपनीय रिपोर्ट लिखने वाला प्राधिकारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है, वहाँ गोपनीय रिपोर्ट ऐसी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक माह से अधिक समय के भीतर में नहीं लिखी जाएगी।
>
> 5(6) जहाँ प्रतिवेदन प्राधिकारी, पुनर्विलोकन प्राधिकारी और स्वीकारकर्ता प्राधिकारी ने उस अवधि के दौरान, जिसके लिए रिपोर्ट लिखी जानी है, कम से कम तीन माह तक सेवा के किसी सदस्य का कार्य-निष्पादन नहीं देखा है, तो इस आशय की एक प्रविष्टि सरकार द्वारा किसी भी ऐसी अवधि के लिए गोपनीय रिपोर्ट में की जाएगी।
>
> 5(7) उपनियमों (1), (2) और (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिवेदन प्राधिकारी, पुनर्विलोकन प्राधिकारी या स्वीकारकर्ता प्राधिकारी, यथास्थिति, के लिए यह सक्षम नहीं होगा, जहाँ

गोपनीय रिपोर्ट लिखने वाला प्राधिकारी शासकीय सेवक नहीं है, कि वह पद छोड़ने के पश्चात गोपनीय रिपोर्ट लिखे।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए, किसी मंत्री को अपना पद छोड़ने वाला नहीं माना जाएगा यदि वह किसी भिन्न पोर्टफोलियो के साथ मंत्रिपरिषद में मंत्री बना रहता है या पूर्व मंत्रिपरिषद, जिसका वह उसी या किसी भिन्न पोर्टफोलियो के साथ मंत्री था, के ठीक बाद पुनर्गठित मंत्रिपरिषद में मंत्री बना रहता है।"

35. अखिल भारतीय नियमों के नियम 5(5) के अवलोकन से, यह पूर्णतः स्पष्ट है कि उपनियम (2) या उपनियम (4) के अधीन एसीआर लिखने के लिए सक्षम प्राधिकारी एसीआर लिख सकता है, यदि एसीआर लिखने से पूर्व फाइल उसके संज्ञान में थी, ऐसी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर। एक माह की अवधि को एक दिन के लिए भी नहीं बढ़ाया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. वर्तमान मामले में, पीजे (सेवानिवृत्त) के पद छोड़ने से पूर्व या सेवानिवृत्ति की तिथि से एक माह के भीतर फाइल उनके संज्ञान में नहीं थी, क्योंकि दिनांक 2 सितंबर, 2008 के अनुमोदन के अनुसरण में एक माह की अवधि के पश्चात फाइल उन्हें सौंपी गई थी। इस प्रकार, एक माह की अवधि के पश्चात एसीआर में टिप्पणियां अभिलिखित करना अयुक्तियुक्त है।

37. विद्वान महाधिवक्ता का यह तर्क कि यह स्वीकार्य योग्य नहीं है कि चूँकि स्वीकारकर्ता प्राधिकारी ने तत्कालीन पीजे, जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, को याचिकाकर्ता की एसीआर में अपनी टिप्पणियां अभिलिखित करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर दी थी, इसलिए वह टिप्पणियां लिखने के लिए सक्षम नहीं थे। स्वीकारकर्ता प्राधिकारी किसी भूतपूर्व न्यायाधीश, जो पहले ही अपना पद छोड़ चुका है, को प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन प्राधिकारी के संबंध में कार्य करने की शक्ति प्रत्यायोजित नहीं कर सकता। न्यायिक अधिकारी की एसीआर में टिप्पणियां अभिलिखित करने की। इसी प्रकार, कोई न्यायाधीश अपना पद छोड़ने के पश्चात निर्णय नहीं सुना सकता, क्योंकि वह पदातीत (functus officio) हो जाते है।

38. फुल कोर्ट ने दिनांक 25 मार्च, 2009 को आयोजित अपनी बैठक में याचिकाकर्ता सहित 8 अधिकारियों को एसटीएस प्रदान किए जाने हेतु अनुपयुक्त पाया था। इस प्रकार, तथ्य यह

रहता है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक की अवधि के लिए प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों दिनांक 2 जनवरी, 2009, दिनांक 15 जनवरी, 2009 और दिनांक 25 फरवरी, 2009 पर न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2009 को आयोजित अपनी बैठक में, अर्थात् वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को एसटीएस प्रदान करने के संबंध में फुल कोर्ट द्वारा निर्णय लिए जाने से बहुत पहले, विचार किया गया था और उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया था।

39. दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक की अवधि के लिए एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी कोई टिप्पणी नहीं थी, क्योंकि यह संबंधित न्यायाधीश द्वारा पद छोड़ने के पश्चात की गई थी। अखिल भारतीय नियमों का नियम 5(5) पद छोड़ने की तिथि से एक माह की समाप्ति के पश्चात एसीआर लिखने को पूर्णतः प्रतिषिद्ध करता है। उसे 'अनुपयुक्त' ठहराने वाला निर्णय दिनांक 31 मार्च, 2009 को याचिकाकर्ता को संसूचित किया गया था। इसके विरुद्ध, उसने दिनांक 3 मार्च, 2010, दिनांक 5 मार्च, 2010 और दिनांक 25 अप्रैल, 2010 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, जिन्हें दिनांक 7 जुलाई, 2010 को फुल कोर्ट द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया और उक्त निर्णय दिनांक 9 जुलाई, 2010 को याचिकाकर्ता को संसूचित किया गया था। दिनांक 9 जुलाई, 2010 की संसूचना डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 3948 वर्ष 2010 में चुनौती के अधीन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

40. निजी उत्तरवादीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन कि याचिकाकर्ता ने निर्णय को चुनौती नहीं दी है, बल्कि उसके अभ्यावेदन पर पारित आदेश को चुनौती दी है, इस प्रकार दिनांक 25 मार्च, 2009 को लिए गए निर्णय पर डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 3948 / 2010 में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। आगे यह तर्क दिया गया है कि निजी उत्तरवादीगण को डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 3948 / 2010 में पक्षकार/उत्तरवादी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

41. निजी उत्तरवादीगण के पूर्वोक्त तर्क भ्रामक हैं। याचिकाकर्ता ने डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 1989 / 2009 में दिनांक 25 मार्च, 2009 को लिए गए निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें सभी निजी उत्तरवादीगण को पक्षकार/उत्तरवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 1989 / 2009 में, जहाँ याचिकाकर्ता ने दिनांक 31 जनवरी, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए टिप्पणियां अभिलिखित करने और साथ ही दिनांक 31

जनवरी, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए टिप्पणियों और ग्रेडिंग के आधार पर एसटीएस ग्रेड प्रदान करने के संबंध में फुल कोर्ट द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2009 को लिए गए निर्णय को चुनौती दी है। सभी रिट याचिकाओं पर इस एक ही आदेश द्वारा विचार किया गया है और निर्णय लिया गया है।

42. इस प्रकार, यह एक असाधारण स्थिति है जहाँ न्यायालय फुल कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए विवश है, क्योंकि यह किसी युक्तियुक्त व्यक्ति के अंत:करण को आघात पहुँचाता है, क्योंकि अन्याय स्पष्ट है।

43. विधि का यह भी एक सुस्थापित सिद्धांत है कि फुल कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय को न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन करना कठिन होगा, यद्यपि, किसी असाधारण मामले में जब न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि कोई अन्याय, जो नहीं होना चाहिए था, वास्तव में हुआ है और केवल इसलिए नहीं कि कोई अन्य संभावित दृष्टिकोण हो सकता है या किसी को समिति/फुल कोर्ट द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में कोई शिकायत है। यह अनुपात भी सुस्थापित है कि न्यायिक पुनर्विलोकन तब अनुज्ञेय है जब निष्कर्ष/निर्णय, प्रथम दृष्टया, पूर्णत: मनमाना या स्वेच्छाचारी हो। *(देखें: राजेंद्र सिंह वर्मा (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य विरुद्ध उपराज्यपाल (एनसीटी दिल्ली) एवं अन्य*[4] *तथा उच्च न्यायालय, बंबई द्वारा रजिस्ट्रार विरुद्ध शशिकांत एस. पाटिल एवं एक अन्य*[5]*)*।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

44. इस विवाद्यक पर कोई मतभेद नहीं है कि असंसूचित प्रतिकूल प्रविष्टि, जो किसी कर्मचारी के सेवा जीवन को प्रभावित करती है, पर या तो उच्च वेतनमान या उच्च पदोन्नति प्रदान करने के लिए मामले पर विचार करते समय विचार नहीं किया जाएगा। *{देखें: देव दत्त (पूर्वोक्त)}*। यद्यपि, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में, किसी कर्मचारी के उसके सेवा काल के दौरान समग्र कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए सभी टिप्पणियों, चाहे वे संसूचित हों या असंसूचित, पर विचार किया जाना आवश्यक है।

45. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *सैयद टी.ए. नक्शबंदी एवं अन्य विरुद्ध जम्मू और कश्मीर राज्य एवं अन्य*[6] तथा *एस.के. अब्दुल रशीद एवं अन्य विरुद्ध जम्मू और कश्मीर राज्य एवं अन्य*[7] के प्रकरणों में दिए गए निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

---

[4] (2011) 10 एस.सी.सी 1
[5] (2000) 1 एस.सी.सी 416
[6] (2003) 9 एस.सी.सी 592
[7] (2008) 1 एस.सी.सी 722

46. न्यायिक अधिकारियों की एसीआर अभिलिखित करने के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय पटना विरुद्ध पांडेय गजेंद्र प्रसाद एवं अन्य*[8] के प्रकरण में किए गए निम्नलिखित बुद्धिमत्तापूर्ण अवलोकन का संदर्भ देना लाभप्रद है:

> "25. यद्यपि, इस निर्णय को समाप्त करने से पूर्व, हम न्यायिक अधिकारियों की एसीआर अभिलिखित करने के संबंध में उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं। हम महसूस करते हैं कि एसीआर अभिलिखित करने की वर्तमान प्रणाली में बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। अनुभव ने दर्शाया है कि यह कई मायनों में त्रुटिपूर्ण है, यह प्रत्येक व्यक्ति के कार्य, आचरण और कार्य-निष्पादन के स्तर को सही रूप में प्रतिबिंबित करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक नहीं है, और दूसरी ओर, यह व्यक्तिपरकता को रोकने में असमर्थ है। यह निःसंदेह अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय के उचित और प्रभावी अधीक्षण तथा नियंत्रण को कम करने के अतिरिक्त न्यायिक सेवा के एक वर्ग में असंतोष उत्पन्न करता है।
>
> 26. एक न्यायिक अधिकारी के मूल्यांकन की प्रक्रिया का आशय संपूर्ण मूल्यांकन अवधि के दौरान उसके कार्य-निष्पादन के बारे में संतुलित जानकारी समाविष्ट करना है, परंतु यह देखा गया है कि कई बार, एसीआर को आकस्मिक रूप में अभिलिखित किया जाता है "समय के लंबे अंतराल के बाद जल्दबाजी में (कुछ मामलों में तो उस अवधि की समाप्ति के एक वर्ष बाद भी, जिससे यह संबंधित है), केवल अंतिम कॉलम में ग्रेडिंग को इंगित करते हुए। इसमें किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा जल्दबाजी में किया गया मूल्यांकन या तो पिछले वर्ष(वर्षों) के मूल्यांकन/ग्रेडिंग के आधार पर या निरीक्षण न्यायाधीश(न्यायाधीशों) के व्यक्तिगत व्यक्तिपरक विचारों पर ही आधारित हो सकता है, जो न्यायिक अधिकारी के लिए अनुचित है।
>
> 27. निःसंदेह, किसी न्यायिक अधिकारी के प्रोफाइल के मूल्यांकन और राय बनाने में, विशेष रूप से किसी न्यायिक अधिकारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[8] (2012) 6 एस.सी.सी 357

के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित मामलों में, एसीआर एक महत्वपूर्ण और सार्थक भूमिका निभाती हैं। ऐसे अधिकारी का आचरण सुनिश्चित करने में एसीआर का सर्वोच्च महत्व होता है, और इसलिए, इसे सम्यक तत्परता और सावधानी के साथ सावधानीपूर्वक रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है। हम महसूस करते हैं कि इस विषय पर सुधार की तत्काल आवश्यकता है, न केवल एकरूपता लाने के लिए बल्कि वस्तुनिष्ठता और मानकीकरण का संचार करने के लिए भी।"

47. विद्वान महाधिवक्ता का प्रकाश चंद शर्मा (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अवलंब व्यक्त करना उनके लिए किसी प्रकार से सहायक नहीं है, क्योंकि उसमें अंतर्ग्रस्त तथ्य भिन्न हैं।

48. विद्वान महाधिवक्ता का सर्वोच्च न्यायालय के *सत्य नारायण शुक्ला विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य*[9], *के.एम. मिश्रा विरुद्ध सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य*[10] तथा *यूपी स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एवं अन्य विरुद्ध के.सी.पी. सिन्हा*[11] के प्रकरणों में निर्णयों पर आगे अवलंब व्यक्त करना वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए सुसंगत नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

49. पूर्वोक्त उल्लेखित कारणों से, यह आदेश दिया जाता है कि :

<u>डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 1989 / 2009 एवं 3948 / 2010 :</u>

- दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक की अवधि के लिए एसीआर में अभिलिखित प्रतिकूल टिप्पणियों और उस पर दिए गए ग्रेडिंग को, अस्तित्वहीन मानते हुए, अभिखंडित किया जाता है।
- दिनांक 25 मार्च, 2009 को आयोजित अपनी बैठक में फुल कोर्ट द्वारा लिया गया निर्णय, उस सीमा तक जहाँ याचिकाकर्ता को एसटीएस ग्रेड का लाभ प्रदान किए जाने हेतु अनुपयुक्त ठहराया गया है, अभिखंडित किया जाता है।
- एसटीएस ग्रेड प्रदान करने हेतु याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने वाला दिनांक 9 जुलाई, 2010 का ज्ञापन अभिखंडित किया जाता है।

---

[9] (2006) 9 एस.सी.सी 69

[10] (2008) 9 एस.सी.सी 120

[11] (1996) 5 एस.सी.सी 11

- उत्तरवादी क्र. 1/छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय पूर्वोक्त आदेश के प्रकाश में, दिनांक 25 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, याचिकाकर्ता को एसटीएस ग्रेड प्रदान करने के मामले पर पुनर्विचार करेगा।
- याचिकाकर्ता उस पर उचित अनुतोष का हकदार होगा।
- परिणामस्वरूप, इन दोनों याचिकाओं को यहाँ ऊपर इंगित सीमा तक स्वीकार किया जाता है।

डब्ल्यूपी (सेवा) क्र. 2028 / 2009 एवं 2025 / 2009 :

- ये याचिकाएं, जिनका कोई आधार नहीं है, खारिज होने योग्य हैं और एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं।

50. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया है।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Rituraj Burman